

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक गजू कुदादा, पिता-स्व० हरिश चन्द्र कुदादा उर्फ हरिचरण कुदादा, निवासी ग्राम- दुम्बीसाई, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- दुम्बीसाई, थाना नं०- 643 के अन्दर खाता नं०-113, प्लॉट नं०- 102, रकवा- 1.07 एकड़ भूमि क्रेता दलपत देवगम, पिता- स्व० अर्जुन सिंह देवगम, ग्राम- दुम्बीसाई, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर ना०मु०सं०- 124(M)/2014-15 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित मूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 659 दिनांक- 8.09.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता दलपत देवगम, पिता- स्व० अर्जुन सिंह देवगम, ग्राम- दुम्बीसाई, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास 7,00,000.00/- (सात लाख) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 5.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में गजू कुदादा, पिता- स्व० हरिश चन्द्र कुदादा, उर्फ हरिचरण कुदादा, ग्राम- दुम्बीसाई, थाना- मुफ्फसिल, क्रेता दलपत देवगम, पिता- स्व० अर्जुन सिंह देवगम, ग्राम- दुम्बीसाई, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल-7,00,000.00/- (सात लाख) रुपये में मौजा- दुम्बीसाई, थाना नं०- 643 के अन्दर खाता नं०- 113 प्लॉट नं०- 102, रकवा- 1.07 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।